

कार्यालय उप वन संरक्षक, जालौन सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उरई।
पत्रांक - 1739 / 33-1 / उरई, दिनांक मार्च 31, 2021।
सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त उ०प्र० झासी।
विषय- जनपद जालौन में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-25 (उरई-ऐट मार्ग) के किमी० 250.00 से किमी० 178.00 एवं एम०डी०आर० सं०-27 बी (कोच-नदीगांव) के कि०मी० 0.00 से किमी० 21.00 तक कुल लम्बाई 93.00 किमी० एवं 0.9802 हे० वन भूमि में भूमिगत आर्टिकरल फाइबर केबिल बिछाने की अनुमति के सम्बन्ध में।
संदर्भ- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक 2139/11 सी FP/UP/OTHERS/40442/2019 दिनांक 24.02.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में प्रस्ताव सं० FP/UP/OTHERS/40442/2019 का मैं आप द्वारा बिन्दु सं० 1 से 4 तक आपत्ति लगायी गयी थी। जिसकी बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है:-

क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1	प्रस्ताव में संलग्न किये गये इस कार्यालय के पत्रांक-343/11 सी, दिनांक 14.08.2020 के क्रम में वांछित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु वन संरक्षक द्वारा पुनः प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	सुसंगत प्रमाण पत्र पर संलग्न है।
2	हार्डकापी भाग-2 में आगरा वन प्रभाग में पुनः क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराया जाना प्रस्तावित बताया गया है, जबकि प्रस्ताव में संलग्न अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि 20 कि.मी. में आगरा वन प्रभाग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराया जा चुका है। अतः हार्डकापी भाग-2 में तदनुसार संशोधित कर आनलाइन भाग-2 में अपलोड करें तथा Additional Informational Detail से पुराना हार्डकापी भाग-2 डिलिट करें।	हार्डकापी भाग-2 में संशोधित प्रति संलग्न है। एवं आनलाइन भाग-2 में संशोधित प्रति अपलोड कर दी गयी है।
3	प्रकरण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित नहीं है। अतः आनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13 (i), (ii), (iii), (iv) एवं (v) में अपलोड किया गया प्रस्तावित स्थल से सम्बन्धित सभी डाटा एवं के०एम०एल० फाइल आदि डिलिट करें।	आनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13 (i), (ii), (iii), (iv) एवं (v) को संशोधित कर दिया गया है के०एम०एल० फाइल आदि डिलिट कर दी गयी है।
4	Additional Informational Detail में अपलोड किये गये संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में तिथि अंकित नहीं है। अतः तिथि सहित संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट आनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।	Additional Informational Detail में संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में तिथि अंकित कर दी गयी है एवं आनलाइन भाग-2 में अपलोड कर दी गयी है।

अतः उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः तीन प्रतियों में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

24

प्रभागीय वनाधिकारी,

जालौन, सा०वा०, वन प्रभाग उरई।

पत्रांक-1739

समदिनांक।

प्रतिलिपि- श्री पंकज खरे प्रबंधक रिलाइन्स जी०ओ० इन्फोकोम लि० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,

जालौन, सा०वा०, वन प्रभाग उरई।